भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 636 का उत्तर

महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल परियोजनाएं

636. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के बजट में चिन्हित 25 महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल परियोजनाओं, उनके क्षेत्र, प्रमुख उद्देश्य और पूरे भारत में अपेक्षित परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति, कुल बजट आवंटन और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा विकास के लिए किए गए धन के उपयोग के तरीके का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्वीकृत परियोजनाओं में से प्रमुख परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा और दूरस्थ क्षेत्रों या सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे अल्पसेवित या रणनीतिक क्षेत्रों में क्रियान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाओं और इनके कार्य प्रारंभ करने की अपेक्षित समय-सीमा की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष अवसंरचना अंतरालों को पाटने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक (अवसंरचना के अभाव सहित) और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऊठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के

आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय रेल में लगभग ₹1,90,333 करोड़ की लागत वाली कुल 9,703 किलोमीटर लंबाई की 237 परियोजनाओं (40 नई लाइन, 17 आमान परिवर्तन और 180 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कुल 61,462 किलोमीटर लंबाई के 892 सर्वेक्षण (267 नई लाइन, 11 आमान परिवर्तन और 614 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद, परियोजना की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

भारतीय रेल में, 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 35,966 किलोमीटर लंबाई की 431 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (154 नई लाइन, 33 आमान परिवर्तन और 244 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनकी लागत लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपये है, जिनमें से 12,769 किलोमीटर लंबाई चालू हो गई है और मार्च, 2025 तक लगभग 2.91 लाख करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (किमी)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किमी)	मार्च 2025 तक कुल व्यय (करोड़ में)
नई लाइन	154	16,142	3,036	1,45,318
आमान परिवर्तन	33	4,180	2,997	22,753
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	244	15,644	6,736	1,22,858
कुल	431	35,966	12,769	2,90,929

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रवार/वर्षवार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन नीचे दिया गया है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	11,527 करोड़ रुपये प्रति वर्ष
2025-26	68,785 करोड़ रुपये (लगभग 6 गुना)

भारतीय रेल में नई रेलवे लाइन बिछाना/कमीशनिंग का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	नई लाइन की कमीशनिंग	नई लाइनों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 किमी	4.2 किमी/दिन
2014-25	34,428 किमी	8.57 किमी/दिन (2 गुना से अधिक)

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि

करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

******